न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी , अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 1/2018 अन्तर्गत धारास 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. महाराम पुत्र रामदेव जाति अहीर निवासी ग्राम खोहरी हाल निवासी ग्राम गूगडिया तहसील बहरोड जिला अलवर

:---- अपीलांट

बनाम

1 चन्द्रावली पत्नि रामेश्वर जाति अहीर निवासी ग्राम बूढबाल तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान मृतक

1/1. रामेश्वर पुत्र मीनाराम जाति यादव

1/2. बस्तीराम पुत्र रामेश्वर दयाल

1/3 सुबेसिंह पुत्र रामेश्वर दयाल जाति यादव निवासीयान ग्राम गूगडिया तहसील बहरोड जिला अलवर

1/4 सुशीला पुत्री रामेश्वर दयाल हाल निवासी ग्राम दतार नांगल चौधरी के पास तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

1/5 शकुन्तला पुत्री रामेश्वर हाल निवासी ग्राम नसीबपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

1/6 सावत्री पुत्री रामेश्वर हाल निवासी ग्राम कंजपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

:--- असल रेस्पो0

2 तहसीलदार बहरोड बतौर लैंड होल्डर

:--- तरतीबी रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बहरोड
दिनांक 18.12.2017

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री भोलाराम शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

निर्णय दिनांक 17.02.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 44/2014 अन्तर्गत धरा 251 ए आर0 टी0 एक्ट में पारित आज्ञा दिनांक 18.12.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी असल रेस्पो0 ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 581 रकबा 33 एयर, 582 रकबा 34 एयर में कुआ व मकान बना कर रहती है । अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 583 रास्ते व प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 582 से लगता हुआ है । प्रार्थीया अपने कुएं ज ो आराजी खसरा नम्बर 581 व 582 में बना हुआ है, जिस पर प्रार्थीया गांव से दूर होने के कारण मकान बनाकर रहना चाहती है व अस्थाई रिहायश बना रखी है । अब तक प्रार्थीया व प्रार्थीया के परिवार के सदस्य गाडी ट्रैक्टर व साधनों सहित आम रास्ता में से होकर खसरा नम्बर 583 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे आते जाते रहे हैं लेकिन अब अप्रार्थी ने उक्त रास्ते से वाहनों का आना जाना रोक दिया है, केवल डोल से आ जा सकते हैं । इससे प्रार्थीया को अपने कृषि के लिये आने जाने में रूकावट होती हैं । अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 583 वाके ग्राम गुगडिया तहसील बहरोड की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे आने जाने में रूकावट पैदा ना करें । इस खसरा नम्बर में से 10 फुट चौडा रास्ता दिलाया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है,जिसकी यह अपील अप्रार्थी ने प्रस्तुत की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि हमको जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । हमारे वकील साहब ने ना तो जवाब प्रस्तुत किया और ना ही बहस के लिए हाजिर हुये । पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 582 में प्रार्थी असल रेस्पो0 की रिहायश होना साबित नहीं है । वह बहरोड में निवास करती है । अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 583 में होकर असल रेस्पो0 का कभी भी आवागमन नहीं रहा है । ना ही इस खसरा नम्बर में से कोई रास्ता रहा है । बल्कि खसरा नम्बर 546 में पुख्ता डण्डा करीब 6 फुट उंचा बना हुआ है और खसरा नम्बर 546 में ही तरफ दक्षिण में 10 गुणा 10 फुट में तरफ पश्चिम के कोने पर अपीलांट की माता की समाधि बनी हुई हैं । इस हालात में उक्त खसरा नम्बर 583 में होकर असल रेस्पो0. प्रार्थी का आवागमन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । असल रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में केवल खसरा नम्बर 582 की दक्षिणी डोल में से होकर 10 फुट रास्ता की मांग की थी, जबकि तहत अदालत ने खसरा नम्बर 583 के साथ साथ खसरा नम्बर 546 में से भी रास्ता दिये जाने व रास्ता घोषित किये जाने का निर्णय पारित कर दिया । प्रार्थीनी असल रेस्पो0 के खसरा नम्बर 582 में आने जाने के लिये ख़सरा नम्बर 581 व 580 व अन्य खसरा नम्बरान के तरफ दक्षिण को स्थित खसरा नम्बर 548, 549 व 550 के तरफ उत्तर से आवागमन का रास्ता है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2015 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 181, डी0 एन0 जे0 2009 एस0सी0 पेज 59, आर0 आर0 डी0 2018 पेज 290, आर0 आर0 टी0 2017 पेज 423, आर0 आर0 टी0 2016 पेज 1281, 2018 आर0 आर0 टी0 पेज 1193, 2016 आर0 आर0 डी0 पेज 458, आर0 आर0 टी0 2018 (1) पेज 574, आर0 आर0 डी0 2016 पेज 699, आर0 आर0 डी0 2017 पेज 56 का हवाला दिया ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि हमारे खेत खसरा नम्बर 582 में आने जाने के लिये अन्य कोई सुलभ रास्ता नहीं है । हम सदैव से ही आराजी खसरा नम्बर 583 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे आते जाते रहे हैं । हम डी0 एल0 सी0 की रेट से अपीलांट को पैसा देने को तैयार हैं और अपीलांट चाहे तो बदले में हम अपनी भूमि में से भूमि देने को तैयार है । उक्त रास्ता लेने में समाधि रास्ते में नहीं आ रही है । ये लोग बिना वजह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

हमको रास्ता देने में रूकावट पैदा कर रहे हैं । हमारा प्रार्थना पत्र विधिसम्म पारित किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में 2018 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 188 राज0 उच्च न्यायालय, 2008 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1408 राज0 मण्डल अजमेर, 2016 आर0 आर0 डी0 पेज 300 राज0 मण्डल, 2018 (1) आर0 आर0. टी0 पेज 706, 2016 आर0 बी.0 जे0 पेज 240, 2017 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 980 का हवाला दिया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही धारा 251 ए आर0 टी0 एक्ट में दिये गये प्रावधानों का भी अध्ययन किया । अपीलांट ने अपील में मुख्य आपत्तियां यह उठाई है कि अपीलाधीन निर्णय से उनकी माता जी की समाधि रास्ते में आती है, जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया और असल रेस्पो0. को अपने खेतों में आने जाने के लिये अन्य सुलभ रास्ता मौजूद है । ऐसी स्थिति में हम अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने एवं अपीलाधीन निर्णय से रास्ते में अपीलांट की माता की समाधि आती है अथवा नहीं और असल रेस्पो0 के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं, की मौका जांच करके पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आं शिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.17 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये इस निर्णय के पैरा नम्बर 05 में वर्णित बिन्दुओं पर मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई जाकर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष तहत अदालत में वास्ते सुनवाई दिनांक 17.03.2021 को उपस्थित हो ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर